न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 135/2014

सायलान :- बनाम गै0सा0 :-

1. शोभादेवी पत्नि बीरबल
2. भंवरलाल पुत्र घासीराम
3. जस्साराम पुत्र घासीराम
4. बाबूलाल पुत्र घासीराम
5. हिरालाल पुत्र घासीराम

समस्त जातियान- सतनामी साद
निवासीगण-लितरिया
तह.-जैतारण, जिला-पाली

1. दीपकचन्द पुत्र घासीराम
2. सोनाराम पुत्र घासीराम
   जातियान-सतनामी साद
   निवासीगण-लितरिया
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली
3. उपपंजीयन अधिकारी, जैतारण
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 व 151 सीपीसी

तारीख रजू:.18.07.2014

उपस्थितः- 1. श्री सुगनचन्द सतनामी, अधिवक्ता, सायलान।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 01/07/2015

वकील मय सायलान ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-लितरिया, पटवार हल्का-काणेचा, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में सायलान एंव गैरसायलान सं. 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी की जमीन एंव कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 221/5 रकबा 0-15 बीघा किस्म चा0दो0, खसरा नम्बर 241 रकबा 5-07 बीघा किस्म चा0दो0, खसरा नम्बर 242 रकबा 2-05 बीघा किस्म चा0दो0, खसरा नम्बर 257 रकबा 1-11 बीघा किस्म चा0दो0, खसरा नम्बर 258 रकबा 2-03 बीघा किस्म चा0दो0, खसरा नम्बर 259/1 रकबा 3-11 बीघा किस्म चा0दो0, खसरा नम्बर 260/1 रकबा 3-08 बीघा किस्म चा0दो0, खसरा नम्बर 321/241 रकबा 10-06 बीघा किस्म चा0दो0, कुल किता-8 कुल रकबा 29-06 बीघा एवं खसरा नम्बर 221/2 रकबा 22-07 बीघा किस्म चा0दो0, खसरा नम्बर 319/241 रकबा 6-19 बीघा किस्म चा0दो0, कुल किता-2 कुल रकबा 29-06 बीघा की आई हुई हैं। सायलान तथा गैरसायलान सं. 1 व 2 एक ही परिवार के सदस्य है सायला 1 गैरसायल सं. 1 की पुत्रवधु है। अन्य सभी एक ही पिता की सन्तान अर्थात सगे भाई है। उक्त वर्णित भूमि पैतृक सम्पति हैं, जिस पर सायलान व गैरसयलान का संयुक्त रूप से कब्जा चला आ रहा है। परन्तु उक्त जमीन का कानूनी रूप से अभी तक बंटवाडा नही हुआ है और ना ही तरमीन की गई है, सायलान व गैरसायलान मना-गना अपने-अपने हिस्से अनुसार जमीन अलग-अलग बोते है। गैरसायलान अपनी नियत बिगाड कर सायलान की

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

मीन पर कब्जा एवं काश्त करना चाहते हैं तथा सायलान को धमकिया देते है कि ना बंटवाडा किये। उक्त जमीन का बेचान अवैध खनन कर चाईना क्ले निकालने ले भू-माफियों को कर देंगे। ऐसी स्थिति सायलान नं. 1 के अधिकारों का हनन हो जायेगा एवं सायलान के अपने बच्चों का पालन-पोषण, रोजी रोटी व आमदनी का रिया ही खत्म हो जायेगा तथा सायलान की समस्त जमीन पर बिना बंटवाडे गैरसायलान सं. 1 व 2 चाईना-क्ले अपनी मनमर्जी से भू-माफियों के जरिए अवैध रूप से निकाल कर नुकसान पहुंचाना चाहते है तथा बेचान करना भी चाहते है। उक्त जमीन की बिना तरमीन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़े के यह स्पष्टीकरण नही होगा कि किसकी जमीन किस स्थान पर आयेगी तब गैर सायलान सायलान की उपजाऊ जमीन का अवैध खनन करवा कर नुकसान पहुंचा देंगे एवं उक्त जमीन काश्त करने के लायक भी नही रहेगी एवं सारे काश्तकार बरबाद हो जायेंगे। गैरसायलान सं. एक व दो शारिरीक रूप से विकलांग है जिसका नाजायज फायदा स्वार्थी लोग उठाकर सगे भाईयों में आपसी फूट डालकर उनकी जमीन बेचने एवं खुर्द -बुर्द करने पर आमादा है, जिससे अन्य जमीन भी चाईना-क्ले की मिटी गिरने से खराब हो जायेगी एवं फसल नही उगेगी दावें में प्रतिवादीगण सं. 3 से 27 खातेदार होने से पक्षकार बनाये गये हैं। जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा में उनके खिलाफ कार्यवाही नही करने से पक्षकार नही बनाया गया है एवं गैरसायलान सं. 3 उपपंजियन अधिकारी को बेचान नही करने के वास्ते आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। गैर सायलान द्वारा सायलान को उनकी जमीन से बेदखल करने व बेचान करने की बार-बार धमकियां दी गयी जिससे व्यथित होकर सायलान ने जमाबंदी की नकलें प्राप्त की तथा तत्पश्चात भी दिनांक 13-7-14 से लगातार एलानिया भरी धमकियां देने से बेदखल करने, जमीन खुर्दबुर्द करके परिवर्तन कर बुवाई करके जमीन हड़पने एवं सायलान को फंसाकर कब्जा करने व बेचान करने की धमकियां देने से गैरसायलान के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिऐ रोका जाना आवश्यक हैं। सायलान का रिकॉर्डेड खातेदार होने से मौके पर कब्जे काश्त होने से प्रथम दृष्टया मामला बहुत मजबूत हैं। यदि एक रिकॉर्डेड खातेदार को उनके कब्जे एवं काश्त में गैरसायलान द्वारा दखलन्दाजी की गयी तो सायलान द्वारा खर्चा लगाकर उपजाउ बनाई गयी जमीन में जो मेहनत व खर्चा किया गया सायलान को भारी क्षति होगी, वो क्षति किसी भी सूरत में पूर्ति नही होगी। गैरसायलान द्वारा सायलान के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार दखलन्दाजी की गयी या अन्य पक्ष को बेचान कर जमीन पर कब्जा कर लिया गया या उनके उपजाऊपन के बनाने की मेहनत पर पानी फेरा गया, तो सायलान को भारी कठिनाई व असुविधा होगी। इसलिए सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के पक्ष में हैं।

सायलान का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गै0सा0 को वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गय पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-काणेचा में पेश हुई। गै0सा0 को बावजूद तामिली / सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। बहस वकील सायलान सुनी गई। बहस के दौरान वकील सायलान ने जाहिर किया कि विवादित भूमि पैतृक व पुश्तैनी हैं। जिसका बंटवाड़ा नहीं हो रखा हैं। मूल वाद के निर्णय तक जरिये स्थाई निषेधाज्ञा

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

गै0सा0 को कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने एवं बेचान, रहन व बख्शीश करने रोका जाने की ईश्तदुआ की हैं। बहस पर मनन किया गया। लिहाजा सायलान के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करने एवं बेचान आदि नहीं करने हेतु गै0सा0 को अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं कि सरहद मौजा–लितरिया, पटवार हल्का–काणेचा, तहसील–जैतारण, जिला–पाली में सायलान एंव गैरसायलान सं. 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी की जमीन एंव कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 221/5 रकबा 0–15 बीघा किस्म चा0दो0, खसरा नम्बर 241 रकबा 5–07 बीघा किस्म चा0दो0, खसरा नम्बर 242 रकबा 2–05 बीघा किस्म चा0दो0, खसरा नम्बर 257 रकबा 1–11 बीघा किस्म चा0दो0, खसरा नम्बर 258 रकबा 2–03 बीघा किस्म चा0दो0, खसरा नम्बर 259/1 रकबा 3–11 बीघा किस्म चा0दो0, खसरा नम्बर 260/1 रकबा 3–08 बीघा किस्म चा0दो0, खसरा नम्बर 321/241 रकबा 10–06 बीघा किस्म चा0दो0, कुल किता–8 कुल रकबा 29–06 बीघा एवं खसरा नम्बर 221/2 रकबा 22–07 बीघा किस्म चा0दो0, खसरा नम्बर 319/241 रकबा 6–19 बीघा किस्म चा0दो0, कुल किता–2 कुल रकबा 29–06 बीघा की भूमि में सायलान के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से एवं बेचान आदि नहीं करने हेतु गै0सा0 को वाद निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 01/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–काणेचा पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner